

Criterion 6: Governance, Leadership and Management

Metric 6.	.3 Faculty	Empowerment	
No. St	trategies		
w	he institution havelfare measures	for teaching	L. ESIC & PF details.

क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम 18, साउथ एवेन्यू चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.) (आई. एस. ओ. 9001—2000 प्रमाणित)



फोन 0771-2254589 फैक्स 0771-2254598

क. : छ.ग.59000027410001303/बीमा-1

दिनांक: 04/04/2011

सेवा में,

M/s. M.J. College, Kokha Jonwani Road, Kokha, Bhilai (C.G.)

विषय: - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 का कार्यान्वयन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम,1948 की धारा 1(5), 2(12) के अन्तर्गत कर्मचारियों तथा स्थापनाओं का पंजीकरण।

निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार से अधिसूचना संख्या. एस. – 38013 / 13 / 89 एस.एस.आई. दिनांक प्रिय महोदय, 05/09/89 द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत <u>भिलाई</u> अधिनियम के उपबन्धों को दिनांक 16/09/89 से नगर निगम भिलाई के अन्दर लागू किया है ।

- 1 यह भी निवेदन है कि उपर्युक्त सरकार ने अधिसूचना संख्या (प्रतिलिपि संलग्न है) दिनांक से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 1(5) के अन्तर्गत अन्य स्थापना के लिए अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार किया है ।
- अधिनियम की धारा 2-क के अन्तर्गत ऐसे कारखाने/स्थापना को अधिनियम के अन्तर्गत अपना पंजीकरण कराना अपेक्षित है तथा इसके अध्याय-4 के अनुसार उसके प्रधान नियोजक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों का बीमा कराएँ और अधिनियम के अन्तर्गत आए ऐसे कर्मचारियों के संबंध में अंशदान की अदायगी करें।
- आपके कारखाने / स्थापना के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों तथा बीमा निरीक्षक / शाखा कार्यालय प्रबन्धक द्वारा दिनांक को आपके कारखाने / स्थापना दिनांक को आपके कारखाने / स्थापना के निरीक्षण की रपट के आधार पर आपका कारखाना / स्थापना दिनांक 01/02/2011 से स्थाई / अस्थाई तौर पर अधिनियम की धारा 2(12), 1(5) के अधीन आता है। तथापि यदि अनुवर्ती तथ्यों से यह पता चलता है कि आपका कारखाना / स्थापना उपर्युक्त तारीख से पूर्ववर्ती किसी तारीख योजना में शामिल किये जाने योग्य था तो आप ऐसी किसी पूर्ववर्ती तारीख से अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

आपसे निवेदन है कि आप अधिनियम के अन्तर्गत अपने कारखाने/स्थापना की व्याप्ति कि तारीख से घोषणा पत्र भरकर अपने कर्मचारियों का पंजीकरण करवाने की कृपा करें तथा अंशदान विवरणी द्रौयार कराने और अंशदान की अदायगी करने तथा रिकार्ड आदि रखने के लिए तुरंत कदम उठाने की कृपा करें।

सुविधा की दृष्टि से आपकी स्थापना को कूट संख्या 59000027410001303 आबंटन की गई है। जिसे इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में तथा फ़ार्मों में इस प्रयोजन के लिए दिए गए उपयुक्त कॉलम (स्तम्भ) सभी फार्मो (प्रपत्रो) में इस्तेमाल करने की कृपा करें। भिलाई में ख़िथत निगम के शाखा कार्यालय को आपके कर्मचारियों के पंजीकरण के संबंध में, आपको आवश्यक सहायता देने के अनुदेश दिए गए हैं। यदि आपको कोई कठिनाई महसूस हो या योजना से संम्बन्धित/आवश्यक होने वाले किसी अन्य प्रयोजन के लिए आप आवश्यक समझें तो उपर्युक्त शाखा कार्यालय के प्रबंधक से सम्पर्क करने की कृपा करें जो मामले में आपकी आवश्यक सहायता करेंगें।

कृ.पृ.उ.







COMBINED CHALLAN OF A/C NO. 01, 02, 10, 21 & 22 (With EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

TRRN 1602107017482

MAA JAGDAMBA EDUCATIONAL SOCIETY Dues for the wage month of 2021 Address: KOKHA JUNWANI ROAD, KOKHA, BHILAI, NULL, BHILAI, DURG, CHHATTISGARH EPF **EPS** EDLI Total Subscribers: 42 43 43 4,15,250 Total Wages: 4,09,750 4,17,750 TOTAL SL. PARTICULARS A/C.22 (Rs.) A/C.02 (Rs.) A/C.10 (Rs.) A/C.01 (Rs.) A/C.21 (Rs.) 2,089 0 0 0 Administration Charges 0 2,089 2 Employer's Share Of 34,133 2,078 0 15 997 52,208 3 0 0 Employee's Share Of 50,130 50,130 1,04,427 Grand Total: One Lakh Four Thousand Four Hundred Twenty-Seven Rupees Only

(This is a system generated challan on 27-JUL-2021 07:14, the particulars shown in this challan are populated from the Electronic Challan Cum Return (ECR) uploaded by the establishment for the specified month and year.

Note: The following amounts are being remitted directly by Government of India on account of PMRPY / ABRY.

	PMRPY	ABRY	
A) A/C no 1 (Employer share) (Rs.) -	0		0
B) A/C no 10 (Pension fund) (Rs.) -	0		0
C) A/C no 1 (Employee share) (Rs.) -	0		0
D) Total (A + B + C) (Rs.) -	0		0
E) Total remittance by Employer (Rs.) -	1,04,427		
F) Total amount of uploaded ECR (D + E) (1,04,427		

